



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 25.09.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 25.09.2026 को 01 अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना-सैफई

मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटावा द्वारा अभियुक्त के0डी0 उर्फ कृष्णचन्द्र पुत्र बृजेश कुमार निवासी ग्राम झिंगूपुर थाना सैफई जनपद इटावा को आजीवन कारावास व 1,00,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सैफई पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते **मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटावा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

संक्षिप्त विवरण:- थाना सैफई क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी के भाई को बेलचा से मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना सैफई पर दिनांक 18.05.2023 को **मु0अ0सं0 119/2023 धारा- 302 भादवि में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक यशवन्त सिंह** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को सैफई पुलिस टीम,, पैरोकार **का0 हरिओम पाण्डेय, मॉनिटरिंग सैल टीम व डीजीसी श्री शिवकुमार शुक्ला** द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक 25.09.2026 को **मु0अ0सं0 119/2023 धारा- 302 भादवि में मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटावा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. के0डी0 उर्फ कृष्णचन्द्र पुत्र बृजेश कुमार निवासी ग्राम झिंगूपुर थाना सैफई जनपद इटावा।